ई०-289/78-1-2018/25/2012-TC (ए)

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

अर्द्ध शा०प०सं०- 454 /24-पी-3-2018

ऊर्जा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ : दिनांकः 20 फरवरी, 2018

प्रिय महोदय,

कृपया अपने अर्द्धशा०प०सं०-190/78-1-2018-25/2012TC-ए, दिनांक 08 फरवरी, 2018 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जो उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017 के कियान्वयन के लिए शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017 में प्राविधानित इलेक्ट्रसिटी ड्यूटी की छूट के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी किये जाने के लिए आलेख विधायी विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है।

3- जहाँ तक प्रस्तर-5.5.2 तथा 5.6.2 में किये गये प्राविधानों का प्रश्न है। विद्युत बिलों में जो उपादान दिया जाना है उसकी व्यवस्था आई0टी0 एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग द्वारा अपने बजट में की जानी होगी और उन्हीं के स्तर पर उपादान सम्बन्धित इकाईयों को दिया जायेगा।

4- प्रस्तर-5.4.2 में किये गये प्राविधान को भी लागू किये जाने के लिए आई0टी0 एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग द्वारा आवश्यक धनराशि का प्राविधान अपने बजट में किया जाना जरूरी होगा चूँकि सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाईयों पर लागू टैरिफ का निर्धारण विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जा चुका है और इससे इतर विद्युत टैरिफ की दर लागू किये जाने में न केवल विधिक कठिनाई है बल्कि इसमें निहित वित्तीय उपाशय का बोझ विद्युत वितरण निगमों पर पड़ेगा जिसको वहन करना विद्युत वितरण निगमों के लिए सम्भव नहीं है। अतः नीति के प्रस्तर-5.4.2 में किये गये प्राविधान को लागू करने के लिए आई0टी0 एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग अपने स्तर से इस प्राविधान को लागू करने के लिए ऐसी इकाईयों पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित किये गये टैरिफ दर व नीति में वांछित टैरिफ दर के अन्तर के लिए अपने बजट में प्रावधान करायें और अन्तर की धनराशि को सीधे डी0बी0टी0 के माध्यम से सम्बन्धित इकाईयों को उपलब्ध करा दें।

5- उपरोक्त मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा अनुमोदित है।

सादर

भवदीय,

आलोक

(आलोक कुमार)

616/PSIT/18
VSIT(A)
21-2-18
(राम नरेश शर्मा)
निजी सचिव,
अपर मुख्य सचिव,
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उ0प्र0 शासन।

23/02/18

अर्द्ध0शा0पत्रसं0–   /24–पी–3–2018, तददिनांक।

प्रिय

उपरोक्त की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(आलोक कुमार)

श्रीमती अपर्णा यू0,
प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
लखनऊ।